(1)

संख्या सा–3–1819/दस–919–79

प्रेषक,

त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 1979 ।

विषय––नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन दय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या जी–2–769/दस–917–61, दिनांक 24–8–1966, जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 का प्रवर्तन किया गया था, की ओर आकर्षित करते हुये यह कहने का निदेश हुआ कि उक्त स्कीम के नियम 3 (ग) के उपनियम (1), (2) एवं (3) में यह प्राविधान है कि पारिवारिक पेंशन पति की मृत्यु होन पर पत्नी को, अथवा पत्नी की मृत्यु होने पर, यदि वह सरकारी कर्मचारी है, तो उसके पति को अथवा विधवा/विधुर की अनुपस्थिति में मृतक के अवस्यक पुत्र को 18 वर्ष की आयु तक तथा अविवाहित पुत्री को विवाह/21 वर्ष की आयु, जो भी पहल हो, तक मिलेगी । पारिवारिक पेंशन की दरों में परिवर्तन दिनांक 1–4–78 के शासनादेश संख्या सा–3–657/दस–900–78, दिनांक 10–5–78 द्वारा किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप अब पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि रु0 250 प्रतिमास निर्धारित की गई है ।

2––वर्तमान समय में अब अनेकों परिवारों में पति तथा पत्नी दोनों ही राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त होते हैं । अतएव सेवारत मृत्यु होने के भी अवसर आते हैं । शासन के सम्मुख यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि यदि पति तथा पत्नी दोनों की सेवारत मृत्यु हो जाय तो उनकी सन्तान को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन किस आधार

पर विनियमित की जायगी । इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान करने की कृपा की है कि ऐसे मामलों में मृतक पति तथा पत्नी के सम्बन्ध में पारिवारिक पेंशनें लाभार्थी को नियमानुसार देय होंगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार से प्राप्त होने वाली दोनों पारिवारिक पेंशनों की धनराशि का कुल योग रुपया 500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।

भवदीय,

त्रिभुवन प्रसाद,

सचिव ।

संख्या सा- 3--1819(1)/दस- 919-79 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

2--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश--III, इलाहाबाद को उप महालेखाकार को उप महालेखाकार के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या पी0 आर0- 5/1/17355-78-79-200, दिनांक 23- 4- 1979 के संदर्भ में ।

3--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-I, इलाहाबाद एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश--II, लखनऊ ।

आज्ञा से,

शिव शंकर लाल भटनागर,

अनु सचिव ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 43 सा0 भाषा0--4-10-79--(2266)--1979--10,000 (हि0)।